भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2546

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है।

.....

नदियों का प्रदूषण

2546. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नदियों के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा राज्यों को नदियों को प्रदूषित करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान नदियों को प्रदूषित करने के लिए राज्यों पर लगाए गए जुर्माने का ब्यौरा क्या है और उनसे राज्य-वार कितना जुर्माना वसूल किया गया?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): देश की नदियां शहरों/कस्बों और शहरी स्थानीय निकायों से अनुपचारित और आंशिक रूप से उपचारित घरेलू सीवेज के प्रवाह, उनके संबंधित जलग्रहण क्षेत्र में औद्योगिक अपशिष्टों, सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट उपचार संयंत्रों के संचालन तथा रखरखाव में समस्या, विलयन की कमी और प्रदूषण के अन्य गैर-बिंदु स्त्रोतों के कारण प्रदूषित हैं। तीव्र गति से शहरीकरण और औद्योगीकरण ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा सितंबर 2018 में प्रकाशित अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, जैव-रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) जो जैविक प्रदूषण का एक संकेतक है, के संदर्भ में निगरानी परिणामों के आधार पर 323 नदियों पर 351 प्रदूषित खंडों की पहचान की गई थी। हालाँकि, सीपीसीबी ने 2019 और 2021 में, 279 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की है। राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक** में है।

जल राज्य का विषय है, तथा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर नदियों की स्वच्छता और विकास सुनिश्चित करें। नदियों की सफाई एक सतत प्रक्रिया है तथा भारत सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके नदियों के प्रदूषण की चुनौतियों का समाधान करने में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों के प्रयासों में सहयोग कर रही है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, कच्चे सीवेज के अवरोधन और मोड़, सीवरेज सिस्टम का निर्माण, सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) की स्थापना, कम लागत वाली स्वच्छता, रिवर फ्रंट/ स्नान घाट विकास आदि से संबंधित प्रदूषण उपशमन कार्यों को केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के बीच लागत साझेदारी के आधार पर स्वीकृत किया

जाता है। अभी तक, एनआरसीपी के तहत, 6248.16 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत लागत पर देश के 16 राज्यों में फैले 80 शहरों के 36 नदियों पर प्रदूषण उपशमन कार्य कार्यान्वित किए गए हैं, और अन्य बातों के साथ-साथ 2745.7 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत, 32898 करोड़ रुपये की लागत से 5270 एमएलडी के सीवेज उपचार और 5214 किमी के सीवर नेटवर्क के लिए 176 परियोजनाओं सहित 406 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिसके तहत अभी तक 1858 एमएलडी की सीवरेज उपचार क्षमता सृजित की जा चुकी है।

इसके अलावा, अन्य कार्यक्रमों जैसे आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय के अटल नवीकरण तथा शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत सीवरेज बुनियादी अवसंरचना तैयार किया गया है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण), अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों को नदी और जलाशयों में प्रवाह से पहले अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी)/सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) स्थापित करने और उनके अपशिष्टों के उपचार के लिए निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का पालन करना आवश्यक है। तदनुसार, सीपीसीबी, एसपीसीबी और पीसीसी अपशिष्ट प्रवाह मानकों के संबंध में उद्योगों की निगरानी करते हैं तथा इन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत गैर-अनुपालन के लिए दंडात्मक कार्रवाई करते हैं।

उपरोक्त सभी प्रयासों के अलावा, देश में प्रदूषित नदी खंडों के पुनरुद्धार के संबंध में मूल आवेदन संख्या 673/2018 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को, उनके अधिकार क्षेत्र में सीपीसीबी द्वारा चिन्हित तथा 2018 की रिपोर्ट में प्रकाशित प्रदूषित खंडों के पुनरुद्धार के लिए अनुमोदित कार्य योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू करने की आवश्यकता है। एनजीटी के आदेशों के अनुसार, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और केंद्रीय स्तर पर भी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाती है।

(ग): केंद्र सरकार ने नदियों को प्रदूषित करने के लिए राज्य सरकारों पर जुर्माना नहीं लगाया है।

*****

अनुलग्नक

'नदियों के प्रदूषण' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2546 जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रदूषित नदी खंड (पीआरएस) का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018 में पीआरएस की कुल संख्या	2022 में पीआरएस की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5	3
2	असम	44	10
3	बिहार	6	18
4	छत्तीसगढ	5	6
5	दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	1	1
6	दिल्ली	1	1
7	गोवा	11	6
8	गुजरात	20	13
9	हरियाणा	2	3
10	हिमाचल प्रदेश	7	9
1 1	जम्मू और कश्मीर	9	8
12	झारखंड	7	9
13	कर्नाटक	17	17
14	केरल	21	18
15	मध्य प्रदेश	22	19
16	महाराष्ट्र	53	55
17	मणिपुर	9	13
18	मेघालय	7	7
19	मिजोरम	9	3
20	नगालैंड	6	4
21	ओडिशा	19	7
22	पुदुच्चेरी	2	3
23	पंजाब	4	5
24	राजस्थान	2	14
25	तमिलनाडु	6	10
26	तेलंगाना	8	9
27	त्रिपुरा	6	1
28	उत्तर प्रदेश	12	17
29	उत्तराखंड	9	9
30	पश्चिम बंगाल	17	13
31	सिक्किम	4	-
	कुल योग	**351**	**311**

****